

FOREST DEPARTMENT, GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest Officer (T), Panipat

Forest Complex, Assandh Road Panipat, Phone: 0180-2650331, E-mail :dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक :-

1360

दिनांक :-

16-12-21

सेवा में :-

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य परिमण्डल, रोहतक।

विषय :

Diversion of 0.0912 Ha. Forest Land for construction of Bridge at RD 60300 of Main Drain No. 02 to connect the Sector 40 to Sector 18 U/E Panipat.

Proposal No.FP/HR/Approach/147315/2021

Date of Proposal:- 17-09-2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विषयांकित प्रस्ताव में आपको सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी Executive Engineer, Const. Division No. 23, PWD (I&WR), Panipat द्वारा मैन ड्रेन नं० 02 पर ब्रीज निर्माण करवाया जाना है जो सैक्टर 40 को 18 से जोड़ता है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17-11-2021 को किये गये मौका निरीक्षण अनुसार उक्त केस प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.0912 है० वन भूमि का प्रयोग किया जाना है। उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के 23 वृक्ष बाधक होते हैं। प्रस्तावित केस के बदले प्रतिपूर्ति पौधारोपण Tall Plants Scheme के अन्तर्गत कुल 230 प्लान्ट्स गंगेसर माईनर आर०डी० 15 से 22 तक बायें/दायें साईड पर करवाया जाएगा।

अतः आपसे उक्त केस भेजकर अनुरोध है कि उक्त केस पर आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। प्रस्ताव-ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

वन मण्डल अधिकारी,
पानीपत।

पृ० क्रमांक :-
इसकी एक प्रति-

1361-62

दिनांक :-

16-12-2021

1. Executive Engineer, Const. Division No. 23, PWD (I&WR), Panipat को भेजकर सूचित किया जाता है कि विषयांकित केस वन संरक्षण अधिनियम 1980/2003 के तहत तैयार करके उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। जब तक इस केस की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय/उच्चाधिकारियों से प्राप्त नहीं होती तब तक वन विभाग की सुरक्षित वन भूमि का उपयोग न किया जाये।
2. वन राजिक अधिकारी, पानीपत को भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि प्रस्तावित केस की अनुमति प्राप्त होने तक वन भूमि का उपयोग न होने दिया जाये।

वन मण्डल अधिकारी,
पानीपत।